

फॉर्म II
(विनियम 4 देखिए)
FORM II
(See Regulation 4)

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति (लाईसेंस)
Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) सं. सी एम/एल - 7652078
Licence No. CM/L - 7652078

1. यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

श्री कारवीर निवासिनी महालक्ष्मी इस्पात प्रा लि

ए-6 एवं ए-7/2, मजजावडीती, गोकुल शिरगांव,

जिला-कोल्हापुर 416234

महाराष्ट्र ।

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है), इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर / प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कालम में किया गया है। यह वस्तु / संस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी / के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986 (63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

Shri Karvir Nivasini Mahalaxmi Ispat Pvt Ltd

A-6 & A-7/2, MIDC, Gokul Shirgaon,

District Kolhapur 416234

Maharashtra.

(hereinafter called 'the licensee') this license to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article / process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with /confirms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ वे अधिकार और बाध्यताएं हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के अधिन बनाए गए विनियमों में है। अनिज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगाने की नियत फीस सम्यक रीति से और नियत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप चलाएगा।

२. This licence carries the rights and obligation stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of his obligations, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 14-09-2006 से 13-09-2007 तक विधिमान्य रहेगी और विनियमों में विहित रूप में इसका नवीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from 14-09-2006 to 13-09-2007 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

आज दो हजार ८६ सितंबर मास के बीसवीं दिन
हस्ताक्षरीत तथा मुद्रांकित।

Signed, Sealed and Dated this Twentyfifth day of September
Two thousand Six

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

P. K. Sinhalaty
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख
Scientist 'F' & Head
शाखा कार्यालय पुणे
B.O. Pune

प्रथम अनुसूची
THE FIRST SCHEDULE

मानक चिन्ह STANDARD MARK (1)	वस्तु / प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) (3)
IS 1786 	कांक्र्रीट रीइन्फोर्समेंट के लिए श्रेणी स्पर्ड 415 और श्रेणी स्पर्ड 500 के लिए आकार 8 स्मस्म से 32 स्मस्म डाया तक सहित और उच्च शक्ति विरूपित स्टील की छड़ें व तारें । High strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement Grade Fe 415 and Grade Fe 500 for sizes from 8 mm upto and including 32 mm dda.	भामा 1786:1985 कांक्र्रीट रीइन्फोर्समेंट के लिए उच्च शक्ति विरूपित स्टील की छड़ें और तारें । IS 1786:1985 High strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement.

द्वितीय अनुसूची
THE SECOND SCHEDULE

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल-7652078 के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची
SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO. CM/L-7652078

वस्तु / प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	संदाय की रीति MANNER OF PAYMENT (4)
कांक्र्रीट रीइन्फोर्समेंट के लिए श्रेणी स्टील 415 और श्रेणी स्टील 500 के लिए आकार 8 ममम से 32 ममम डाया तक सहित और की उच्च शक्ति विरुधित स्टील की छड़ें और तारें । High strength deformed 1 MT steel bars and wires for concrete reinforcement Grade Fe 415 and Grade Fe 500 for sizes from 8 mm upto and including 32 mm dia.	एक ममी	तभी इकाइयों के लिए रु. 3.00 के साथ न्यूनतम स्तर 42000/- एक प्रचालन वर्ष की अवधि के लिए । Rs. 3.00 per unit for all units with a minimum of Rs. 42000/- for an operative period of one year.	(क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अग्रिम देय होगी और यह फीस अगले नवीकरण (नवीकरणों) के लिए जमा रहेगी। (a) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s). (ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीनों के लिए चिन्ह लेने उत्पादन पर इकाई दर से बनेवाली चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस या न्यूनतम फीस जो भी अधिक हो पुणे में देय होगी । बाद के नवीकरणों के १२ महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अन्तिम तीन महीने और चालू अवधि के पहले नौ महीने शामिल हों या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होगी । (b) Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked or the minimum fee whichever is higher, shall be payable at Pune at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee for 12 months/period consisting of last three months of previous operative period and first nine months of the current operative period or the minimum fee, whichever is higher, shall be payable